

FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत मुकाम

सरकार जरीये तहसीलदार बेगू बनाव बनाव

करम मुकदमा नं० 75/19 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
01.07.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र क्रमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो।	
12.7.19	पत्रावली आप पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व सभी पक्षकार उपस्थित। सभी पक्षकारों ने अपनी आराजी से हिस्सेसहीनही होने से बचाया की उनके सभी सद खातेदारों ने आपसी सहमती से हिस्से बंटाने को मिल्न है। शाम सोनगर आराजी संख्या 276 रकबा 0.291 हे. भूमि में काना पिता शंकरलाल के सिंग मोहनपिता तुलसीराम, सुरजमल सोहनी प्रेमी	शंकरलाल सुरजमल सोहनी प्रेमी

~~प्यारी पिता हीरा शंकरु वार्ड नेवा हीरा उदा पिता
 ताराचंद्र का हिस्सा $\frac{1}{3}$ दिव्यारवर प्यारचंद राममलाल
 केसरीमल खेमराज नोजीवार्ड लक्ष्मीवार्ड तुलसीवार्ड पिता
 जगन्नाथ पेमा पिता नारायण का हिस्सा $\frac{1}{6}$ हरलाल पिता
 कदा का हिस्सा $\frac{1}{6}$ देवीलाल पिता गोकल प्यारा शूरा
 पिता मिमानन्द शंभुलाल जगदीशचन्द्र पानीवार्ड पिता हीरा
 गंगावार्ड पत्नी स्व हीरा प्रकाशचंद्र संतोषी पिता शंकरलाल
 मोत्यावार्ड पत्नी शंकरलाल नन्दलाल पिता डूंगा का हिस्सा
 $\frac{1}{6}$ हिस्सा वरावर धीमा पिता सेवा गोपीलाल पिता चुन्नीलाल
 का हिस्सा $\frac{1}{6}$ धाऊ सा: देह खातेदार। हमने यह हिस्से व
 खातेदारों द्वारा बनाये गये हिस्से मजमे आम में रखा गया
 जिसमें उन्होंने भी इसी हिस्से पर सहमती प्रकट की
 गई।~~

~~अतः सहखातेदारों की सहमती व तहसीलदार बेगू की
 रिपोर्ट व BILRMP के तहत माननीय राजस्व मण्डल मजमेर के
 आदेश / परिपत्र / उमाऊ / BR / LR / NLRMPF- 126 / पार्ट- 2 /
 10164- 96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार उनके शर्त बर्तित
 हिस्से के अनुसार खातेदारी की घोषणा की जाती है। विस्तृत
 निर्णय अलग से लिखाया जाकर पञ्चवली केशव सुमार
 होकर नम्बर से कम है।~~

सहायक कलेक्टर
(उपकरण अधिकारी)
बेगू (मिर्जापुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)
दावा संख्या : 75/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़

.....वादी

बनाम

1. काना पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
2. केरिंग पिता तुलसीराम धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
3. मोहन पिता तुलसीराम धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
4. सुरजमल पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
5. सोहनी पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
6. प्रेमी पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
7. प्यारी पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
8. समकुबाई पत्नि हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
9. उदा पिता ताराचंद धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
10. प्यारचंद पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
11. श्यामलाल पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
12. केसरीमल पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
13. खेमराज पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
14. नोजीबाई पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
15. लक्ष्मीबाई पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
16. तुलसीबाई पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
17. पेमा पिता नारायण धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
18. हरलाल पिता बरदा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
19. देवीलाल पिता गोकल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
20. प्यारा पिता मियाचंद धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
21. भूरा पिता मियाचंद धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
22. शंभुलाल पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
23. जगदीशचंद्र पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
24. जानीबाई पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
25. गंगाबाई पत्नि स्व. हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
26. प्रकाशचंद पिता शंकरलाल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
27. संतोषी पिता शंकरलाल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
28. मोत्याबाई पत्नि शंकरलाल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
29. नंदलाल पिता डूंगा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
30. घीसा पिता सेवा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
31. गोपाल लाल पिता चुन्नीलाल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू



.....प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगू
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1 से 24

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ०धा० 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

तहत प्रस्तुत किया गया, जो वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट जयनगर पर वारते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित आये।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्रांक 1223 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम सोनगर के खाता संख्या 29 विक्रम सं. 2071-74 में आराजी नं० 276 किता- 1 रकबा 0.291 हैक्टर भूमि श्री काना पिता भंवरलाल, केरिंग, मोहन पिता तुलसीराम वगै. जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकोर्ड होकर उक्त खाते में हिस्से सही दर्ज नहीं है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 12.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए। पक्षकारों को सुना गया। प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारों ने बताया कि मौजा ग्राम सोनगर में वाद वर्णित आराजी संख्या 276 किता-1 रकबा 0.291 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती भूमि है। एवं उनकी पैतृक भूमि है एवं उक्त भूमि की सेटलमेन्ट जमाबंदी में 1/6 हिस्सा कम है जो ताराचंद के वारिसान का होना चाहिए। कोर्टकैम्प में सजरा बनाया जाकर सजरे में पक्षकारों के बताये मुताबिक खातेदारों के हिस्से दर्ज किये गए। सजरे में दर्ज हिस्से को घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत हुए हैं।

रिकोर्ड का अवलाकन किया गया सेटलमेन्ट रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी संख्या 276 रकबा 0.291 हैक्टर तुलसीराम ताराचंद पिता मेघा 1/3 हिस्सा बराबर नारायण पिता नंदा 1/6, हरलाल पिता बरदा 1/6, गोकल मियाचंद डूंगा पिता ताराचंद हिस्सा बराबर, सेवा पिता भोला खेमराज पिता कजोड 1/6 के नाम दर्ज है। विरासत नामान्तरण संख्या 46 तुलसीराम के बजाय काना पिता भंवरलाल, केरिंग मोहन पिता तुलसीराम, गोकल के बजाय देवीलाल पिता गोकल, मियाचंद के बजाय हीरा, प्यारा, भूरा पिता मियाचंद धाकड के नाम दर्ज हुआ है। मजमें आम में खातेदारों को हिस्से की जानकारी की गई जिससे यह जाहिर आया कि वाद वर्णित आराजी संख्या 276 रकबा 0.291 हैक्टर सामलाती आराजी है जिसमें काना पिता भंवरलाल केरिंग मोहन पिता तुलसीराम सुरजमल सोहनी प्रेमी प्यारी पिता हीरा, झमकुवाई बेवा हीरा, उदा पिता ताराचंद का 1/3 हिस्सा, प्यारचंद श्यामलाल, केसरीमल खेमराज नोजीवाई लक्ष्मीवाई तुलसीवाई पिता जगन्नाथ, पेमा पिता नारायण का 1/6 हिस्सा, हरलाल पिता बरदाका 1/6 हिस्सा, घीसा पिता सेवा, गोपालाल पिता चुन्नीलाल का 1/6 हिस्सा है लेकिन देवीलाल पिता गोकल प्यारा भूरा पिता मियाचंद, शंभुलाल जगदीशचंद्र जानीवाई पिता हीरा, गंगावाई पत्नी स्व. हीरा, प्रकाशचंद्र संतोषी पिता शंकरलाल, मोतीयावाई पत्नी शंकरलाल, नंदलाल पिता डूंगा का हिस्सा 1/6 होना चाहिए जो सेटलमेन्ट जमाबंदी में नहीं होकर वर्तमान में चला आ रहा है। अतः मजमें आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारों की सहमति से मौजा सोनगर की आराजी संख्या 276 रकबा 0.291 हैक्टर भूमि हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते हैं।

सुप्रीम कोर्ट
(उपबन्ध अधिकारी)
बगू (पिसीइगद)

अतः वाद वादी का अधा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम सोनगर की आराजी संख्या 276 रकबा 0.291 हैक्टर भूमि में श्री काना पिता भंवरलाल, केरिंग, मोहन पिता तुलसीराम, सुरजमल, सोहनी, प्रेमी, प्यारी पिता हीरा, झमकुबाई बेवा हीरा, उदा पिता ताराचंद्र का हिस्सा 1/3 हिस्सा बाबर, प्यारचंद, श्यामलाल, केसरीमल, खेमराज, नोजीबाई, लक्ष्मीबाई, तुलसीबाई पिता जगन्नाथ, पेमा पिता नारायण का हिस्सा 1/6, हरलाल पिता बरदा का हिस्सा 1/6, देवीलाल पिता गोकल, प्यारा, भूरा पिता मियाचंद्र, शंभुलाल, जगदीशचंद्र, जानीबाई पिता हीरा, गंगाबाई पत्नी स्व. हीरा प्रकाशचंद्र संतोषी पिता शंकरलाल, मोत्याबाई पत्नी शंकरलाल, नन्दलाल पिता डूंगा का हिस्सा 1/6 हिस्सा बराबर,, घीसा पिता सेवा, गोपीलाल पिता चुन्नीलाल का हिस्सा 1/6 धाकड साकिन देह खातेदार का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

12-7-19
(रमेश शौरवी मुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगू जिल्हा, चित्तौड़गढ़

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
दावा संख्या : 75/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़

.....वादी

बनाम

1. काना पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
2. केरिंग पिता तुलसीराम धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
3. मोहन पिता तुलसीराम धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
4. सुरजमल पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
5. सोहनी पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
6. प्रेमी पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
7. प्यारी पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
8. समकुबाई पत्नि हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
9. उदा पिता ताराचंद धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
10. प्यारचंद पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
11. श्यामलाल पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
12. केसरीमल पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
13. खेमराज पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
14. नोजीबाई पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
15. लक्ष्मीबाई पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
16. तुलसीबाई पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
17. पेमा पिता नारायण धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
18. हरलाल पिता बरदा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
19. देवीलाल पिता गोकल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
20. प्यारा पिता मियाचंद धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
21. भूरा पिता मियाचंद धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
22. शंभुलाल पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
23. जगदीशचंद्र पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
24. जानीबाई पिता हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
25. गंगाबाई पत्नि स्व. हीरा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
26. प्रकाशचंद पिता शंकरलाल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
27. संतोषी पिता शंकरलाल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
28. मोत्याबाई पत्नि शंकरलाल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
29. नंदलाल पिता डूंगा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
30. घीसा पिता सेवा धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू
31. गोपाल लाल पिता चुन्नीलाल धाकड़ निवासी सोनगर तह० बेगू



.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 12.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू, के समक्ष कोर्ट कैम्प जयनगर पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :


अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज० काश्त० अधि० सह धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम सोनगर की आराजी संख्या 276 रकबा 0.291 हैक्टर भूमि में श्री काना पिता भंवरलाल, केरिंग, मोहन पिता तुलसीराम, सुरजमल, सोहनी, प्रेमी, प्यारी पिता

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौडगढ़)

हीरा, झमकुबाई बेवा हीरा, उदा पिता ताराचंद्र का हिस्सा 1/3 हिस्सा बाबर, प्यारचंद, श्यामलाल, केसरीमल, खेमराज, नोजीबाई, लक्ष्मीबाई, तुलसीबाई पिता जगन्नाथ, पेमा पिता नारायण का हिस्सा 1/6, हरलाल पिता बरदा का हिस्सा 1/6, देवीलाल पिता गोकल, प्यारा, भूरा पिता मियाचंद्र, शंभुलाल, जगदीशचंद्र, जानीबाई पिता हीरा, गंगाबाई पत्नी स्व. हीरा प्रकाशचंद्र संतोषी पिता शंकरलाल, मोत्याबाई पत्नी शंकरलाल, नन्दलाल पिता डूंगा का हिस्सा 1/6 हिस्सा बराबर,, घीसा पिता सेवा, गोपीलाल पिता चुन्नीलाल का हिस्सा 1/6 धाकड साकिन देह खातेदार का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

 12-7-19
(रमेश सुंदर मुत्ताडिया)
सहायक कलेक्टर (अधिसूचना अधिकारी)
बेगू जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।